रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249698
CG-DL-E-26102023-249698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 2023/कार्तिक 4, 1945
No. 616]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2023/KARTIKA 4, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 794(अ).—कीटनाशी नियम,1971 का और संशोधन करने के लिये प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, भारत सरकार के कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग), की अधिसूचना संख्यांक सा. क. नि 406 (अ), दिनांक 1 जून, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना में ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तिथि से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमे उक्त अधिसुचना प्रकाशित की गयी थी, 30 दिनों की अवधि के समाप्त होने से पहले, आक्षेप या सुझावों को आमंत्रित करने के लिये जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 1 जून, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए थे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (पांचवा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के नियम-14,के, उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"परंतु विद्यमान खुदरा विक्रेता या डीलर की मृत्यु की दशा में, मृत खुदरा विक्रेता या डीलर के परिवार के सदस्य, अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान, संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष मृत खुदरा विक्रेता या डीलर की मृत्यु प्रमाणपत्र और विधिक वारिस प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के विषय में अपने नाम पर अनुज्ञप्ति के अंतरण की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा:

परंतु यह भी कि मृत खुदरा विक्रेता या डीलर के परिवार के सदस्य जो नियम 10 में निर्दिष्ट अर्हताओं के बिना है उन्हें अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए कीटनाशी प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा करना होगा और ऐसी अनुज्ञप्ति परिवार के सदस्य को एक वर्ष के अवधि के लिए या परिवार के सदस्यों के कीटनाशी प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, अंनतिम रुप से अंतरित की जाएगी और उक्त अवधि के दौरान आवेदक नियम 10 में निर्दिष्ट ऐसी शैक्षिक अर्हताओं वाले व्यक्ति को नियोजित कर सकेगा।"

[फा. सं. 13035/28/2014-पीपी-I (खंड-vii)(ई-90026]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 315(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2023

G.S.R. 794(E).—Whereas the draft Rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 406 (E), dated the 1st June, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 1st day of June, 2023;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public on the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Fifth Amendment) Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 14, in sub-rule(1), the following provisos, shall be inserted namely:

   "Provided that in case of death of the existing retailer or dealer, the family member of the deceased retailer or dealer, during the currency of the license, may apply for permission to transfer the license in his name subject to the submission of the death certificate of the deceased dealer or retailer and the legal heir certificate before the concerned licensing officer:

Provide further that the family member of the deceased retailer or dealer who is without the qualifications referred to in rule 10 shall undergo the certificate course in insecticides management for transfer of license and such license shall be provisionally transferred to the family member for a period of one year or till the family member completes the certificate course in insecticides management, whichever is earlier and during the said period, the applicant may employ a person with such educational qualifications referred to in rule 10.”.

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (vol.-vii) (e-90026)]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1650(E) dated the 19^{th} October, 1971 and was amended *vide* G.S.R.315(E) dated 26^{th} April, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.26 20:35:18 +05'30'